रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2019/कार्तिक 27, 1941
No. 403] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2019/KARTIKA 27, 1941

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई,18 नवम्बर, 2019

सं. आईएमयू/एच क्यू/एडीएम/अधिसूचना/2019/02. – भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 के 22वें) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सामान्य सूचना हेतु निम्नांकित अधिसूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं :

क्रम सं.	संविधि/अध्यादेश/ अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद् संकल्प
1	2019 का अध्यादेश 07	**परिसर निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम**	*दिनांक* 26.06.2015 का ईसी 2015-31-36 *दिनांक* 29.01.2018 *के ईसी* EC 2018-43-06 *तथा दिनांक* 24.9.2019 *के ईसी* -2019-49-14 *द्वारा संशोधित*
2	2019 का अध्यादेश 08	"**विभागाध्यक्ष के कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए अध्यादेश**	दिनांक 24.9.2019 के ईसी-2019-49-17 दिनांक 1.10.2019 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित
3	2018 का अध्यादेश 30	पीएच.डी विनियमनों को निर्धारित करने हेतु अध्यादेश	दिनांक 07.12.2018 के 2018 के 06 का ईसी परिचालन दिनांक *17.05.2019* के ईसी *2019-48-03* तथा दिनांक *24.09.2019* के ईसी *2019-49-38* द्वारा संशोधित

नोट : अंग्रेज़ी और हिंदी के रूपांतरणों के बीच में यदि कोई विसंगति हो तो अंग्रेज़ी रूप को अभिभावी माना जाएगा।

2019 का अध्यादेश 07

[दिनांक *26.06.2015* का ईसी *2015-31-36.* दिनांक *29.01.2018* के ईसी *2018-43-06* तथा दिनांक *24.09.2019* के ईसी *2019-49-14* द्वारा संशोधित*]*

परिसर निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पद का नाम	परिसर निदेशक
2.	वर्गीकरण	शैक्षणिक पद
3.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अंतर्गत स्तर 14 [शैक्षणिक], इसके साथ रु. 6750/- का विशिष्ट भत्ता
4.	चयनित पद अथवा गैर-चयनित पद	चयनित पद सीधी भर्ती पद्धति के अंतर्गत चयनित आंतरिक उम्मीदवार निर्धारित कार्यावधि पूरा करने के बाद वापस अपने मूल पद पर आ जाएंगे।
5.	आयु सीमा	62 वर्ष की आयु से अधिक नहीं
6.	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	वर्ग 1: शैक्षणिक 1. आईएमयू के किसी भी विद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखनेवाले उम्मीदवार । 2. तथापि, लागू आयु सीमा 62 वर्ष होगी । वर्ग 2: अनुसंधान संगठन 1. किसी भी संबंधित अभियांत्रिकी विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55% अंकों या समतुल्य ग्रेड के साथ शैक्षणिक रिकार्ड। 2. अभियांत्रिकी में पीएच.डी 3. उम्मीदवार के पास अनुसंधान संगठन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इन दस वर्षों में कम से कम 5 वर्षों की अवधि वैज्ञानिक एफ अथवा समतुल्य स्तर पर होना चाहिए। अथवा अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक जी अथवा समतुल्य स्तर वांछनीय : विशेषज्ञ समीक्षित जर्नलों में प्रकाशन का सबूत वर्ग 3 : समुद्री 1. प्रचलित एसटीसीडबल्यू परंपरा के अंर्थ में प्रबंधन स्तर पर 2 वर्ष जलयात्रा के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त महानिदेशालय नौवहन एमईओ क्लास I/ मास्टर मराइनर (एफजी) ; 2. नौवहन उद्योग में कम से कम 20 वर्ष के कुल कार्य का अनुभव (जलयात्रा, तटीय कार्य, शैक्षणिक, वर्गीकरण एवं अन्य संबंधित क्षेत्र)। कुल कार्य अनुभव के आकलन हेतु जलयात्रा के अनुभव को दो से गुना जाएगा। **[या]** कम से कम 10 की जलयात्रा का अनुभव जिसमें उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में बताए गए प्रबंधन स्तर में 2 वर्ष शामिल है। वांछित : a. विशेषज्ञ समीक्षित जर्नलों में प्रकाशन का सबूत b. अतिरिक्त स्नातकोत्तर अथवा अतिरिक्त प्रथम श्रेणी अथवा 2014 से पहले पीजीडीएमओएम की उपलब्धि अथवा पीएच.डी। **वर्ग 4 : नौ अधिकारी** 1. नौपरिवहन/ समुद्री या इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी/ नौ वास्तु शिल्प विषय क्षेत्रों में कोमडर स्तर के या समतुल्य/अधिक स्तर में 5 वर्ष के अनुभव के साथ सेवारत/ सेवानिवृत्त नौ अधिकारी।

		वांछित a. विशेषज्ञ समीक्षित जर्नलों में प्रकाशन का सबूत b. नौ प्रशिक्षण संस्थान/ मुख्यालय में अनुभव
7.	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
8.	भर्ती करने की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियूक्ति/ स्थानांतरण एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों के प्रतिशत के आधार पर	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा यदि प्रतिनियुक्ति द्वारा हो, तो सीधी भर्ती में लागू उम्र एवं शैक्षणिक योग्यताएं वैसे ही लागू की जाएंगी। यदि प्रतिनियुक्ति द्वारा हो, तो उम्मीदवार को अपने मूल विभाग/एजेन्सी से सेवानिवृत्त होने से पहले 3 वर्षों की एक पूर्ण कार्यावधि पूर्ण करने की स्थिति में होना चाहिए।
9.	चयन समिति	परिसर निदेशकों के पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्नानुसार होना चाहिए : (i) उप-कुलपति (ii) सम-कुलपति (iii) आगन्तुक के नामिती (iv) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित कार्यकारी परिषद् के सदस्य। (v) कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं होने वाले एक व्यक्ति बैठक में गणपूर्ति संविधि 21(3) के अनुसार होगी।
10.	टिप्पणी	a. परिसर निदेशक के पद की नियुक्ति प्रारंभ में 3 वर्षों की कार्यावधि के लिए की जाएगी। b. उम्मीदवार, उपर्युक्त अनुच्छेद 9 के अनुसार गठित समिति द्वारा कार्य-निष्पाइन के संतोषजनक पुनरीक्षण के आधार पर एक समय में 3 वर्षों की अवधि के लिए दो बार कायर्ज़वधि में बढ़ोतरी की जाएगी। c. यद्यपि एक परिसर निदेशक किसी विशिष्ट परिसर में आरंभिक तौर पर नियुक्त किया जाता है, वे देश में अन्य किसी भी परिसर में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। d. यदि कोई कर्मचारी संस्थान की भूतपूर्व रिक्तता के आधार पर परिसर निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, सेवानिवृत्ति से संबंधित आयु लागू होगी। e. प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों के मामले में उनके मूल संगठन में लागू की जानेवाली सेवानिवृत्ति की आयु लागू की जाएगी। f. आईएमयू में सीधी भर्ती के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी। g. (a) और (b) में बताई गई नियुक्ति की कार्यावधि, उपर्युक्त (d) से (f) तक में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु सीमा के अनुसार की जाएगी। h. भावी उम्मीदवार के जलयात्रा के अनुभव को सतत भारमुक्त प्रमाण पत्र में बताए गए अनुसार जहाजों में प्रवेश एवं निकास से लिया जाएगा। अनुच्छेद 6 (वर्ग 3, क्रमांक 2) में दी गई अर्हता के लिए सीडीसी में बताई गई प्रविशिष्टयों के अनुसार जलयात्रा को 2 से गुना किया जाएगा। उदाहरण के लिए संपूर्ण सेवा के आकलन हेतु सीडीसी प्रविष्टियों के अनुसार 6 माह की कुल जलयात्रा को 12 महीने (6x2) की सेवा के रूप में गिना जाएगा। i. उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को ही अर्हता शर्तों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख माना जाएगा। j. शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। k. अर्हताओं की सुसंगतता तथा आवेदनों की जांच एक विशेषज्ञ जांच समिति द्वारा की जाएगी। l. आरक्षण, भारत सरकार/ यूजीसी मार्गदर्शन के अनुसरण में लागू किए जाएंगे।

नोट : इस अध्यादेश के पंक्ति संख्या 3 में उल्लिखित विशेष भत्ता 01.07.2017 से लागू होगा ।

वर्ष 2019 का अध्यादेश 08

[दिनांक 24.09.2019 का ईसी *2019-49-17* तथा

दिनांक 1.10.2019 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित]

विभागाध्यक्ष के कार्यभार निर्धारित करने हेतु अध्यादेश

1. **शैक्षणिक योग्यता :** प्रकाशन, अनुसंधान कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपने संबंधित स्कूल/विभाग की संपूर्ण शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होंगे।
2. **पाठ्यचर्या तैयार करने तथा पुनरीक्षण :** विभागाध्यक्ष, संकाय एवं स्कूल बोर्ड सदस्यों के परामर्श के साथ संबंधित स्कूलों/विभागों के अंतर्गत प्रचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने एवं उसके पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे।
3. **अध्ययनकक्ष एवं प्रयोगशालाएं :** विभागाध्यक्ष,
   a. अध्ययनकक्ष का उचित आबंटन सुनिश्चित करेंगे तथा इसमें यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे सूचित करेंगे।
   b. यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्ययनकक्ष पर्याप्त रूप से सज्जित हैं। यदि उनमें कोई कमियां हैं तो वे उन्हें उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव या समतुल्य श्रेणी के कर्मचारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए सचित करेंगे।
   c. यह सुनिचिश्त किया जाए कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता प्रयोगशाला उपकरण की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है।
   d. आवधिक रूप से प्रयोगशाला की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यकता पड़े और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाओं का उन्नयन किया जाना है तो प्रस्ताव दें।
4. **विद्यार्थी मामले : विभागाध्यक्ष**,
   a. यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी, उनके लिए निर्धारित आचरण कोड, वर्दी/ ड्रेस कोड तथा कक्षा में उपस्थिति/ छुट्टी के नियमों का पूरा पूरा अनुपालन करते हैं।
   b. परीक्षाओं से संबंधित उस्तावेज़ीकरण/डेटा प्रविशिष्ट करने की व्यवस्था की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित समय में किए जाते हैं और उनकी शुद्धता का वैधीकरण किया जाए।
   c. सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी परिसर में अनुशासन का पूर्ण अनुपालन करें।
   d. विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या संबंधी एवं पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
   e. विद्यार्थियों के निम्नांकित अनुरोध को पूर्ण करने की व्यवस्था करे –
      i. अध्येतावृत्ति
      ii. सत्यापन
      iii. वास्तविक प्रमाण पत्र
      iv. परीक्षा आवेदन
      v. औद्योगिक भ्रमण
      vi. विद्यार्थी के अन्य कोई अनुरोध
   f. खराब कार्य-निष्पादन प्रस्तुत करनेवाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए परीक्षाओं में विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन की रिकार्ड का रखरखाव करें। विभागाध्यक्ष ऐसे विद्यार्थियों को परामर्श देंगे और उनके शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे।

5. **संकाय मामले – विभागाध्यक्ष,**

a. आईएमयू के क्षेक्षणिक स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए संकाय सदस्यों को अनुसंधान कार्य करने, प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

b. संकाय सदस्यों के लिए सत्र आरंभ होने के बहुत पहले उन्हें कार्य नियोजन/ समय सारिणी तैयार करने में मदद करेंगे।

c. संकाय सदस्यों को विद्याथियों की प्रतिक्रिया सूचित करेंगे।

d. संकाय सदस्यों में आवयाक अनुशासन सुनिश्चित करेंगे।

e. किसी नियमित/ ठेके पर/ भ्रमण पर संकायों और अन्य शैक्षणिक समर्थन कर्मचारियों को कार्य पर नियुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिसर के निदेशक को सहयोग प्रदान करेंगे।

f. प्रशिक्षण अनुभाग के प्रकार्यों का अनुवीक्षण करेंगे।

g. सभी श्ज्ञैक्षणिक मामलों में अन्य विभागाध्यक्षों के साथ सहयोग करेंगे।

5. विभागाध्यक्ष, उपर्युक्त सभी कार्यभार संभालेंगे तथा निदेशक द्वारा आबंटित अन्य कोई कार्य हो तो करेंगे।

6. विभागाध्यक्ष, इस अध्यादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा इस संबंध में परिसर निदेशक को रिपोर्ट करेंगे।

वर्ष 2018 का अध्यादेश 30

[दिनांक 07.12.2018 के 2018 के 06 का ईसी परिचालन । दिनांक *17.05.2019* के ईसी *2019-48-03* तथा दिनांक *24.09.2019* के ईसी *2019-49-38* द्वारा संशोधित]

पीएच.डी विनियमनों को निर्धारित करते हुए अध्यादेश

"8(d) बाह्य नामित गाइड, जो अध्येताओं को पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में विशिष्ट विषय पढ़ाते हैं, उन्हें 'संबंधित विषय पढ़ाने के वर्ष' के दौरान आईएमयू के सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा। सहायक प्रोफेसर जो निम्नांकित मानदण्डों को पूरा करते हैं, उन्हें सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा।"

नोट : उपर्युक्त अनुच्छेद, दिनांक 30.09.2019 के राजपत्र में प्रकाशित वर्ष 2018 के अध्यादेश 30 के अनुच्छेद 8(d) को प्रतिस्थापित करेगा।

कप्तान (आई एन) ए. के. पलुसकर (सेवानिवृत) कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./294/19]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 18th November, 2019

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2019/02—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

S.No	Statute/ Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1	Ordinance 07 of 2019	Recruitment Rules for the post of Campus Director	EC 2015-31-36 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2018-43-06 dated 29.01.2018 and EC -2019-49-14 dated 24.9.2019

2	Ordinance 08 of 2019	“Ordinance prescribing the duties of the Head of Department	EC-2019-49-17 dated 24.9.2019 and amended vide errata dated 1.10.2019
3	Ordinance 30 of 2018	Ordinance prescribing the Ph.D Regulations	*EC Circulation 06 of 2018 dated 07.12.2018. Amended Vide EC 2019-48-03 dated 17.05.2019 and EC 2019-49-38 dated 24.09.2019*

***Note*:**

In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Ordinance 07 of 2019

[EC 2015-31-36 dated 26.06.2015. Amended vide EC 2018-43-06 dated 29.01.2018 and EC 2019-49-14 dated 24.09.2019]

Recruitment Rules for the post of Campus Director

1.	Name of Post	Campus Director
2.	Classification	**Academic Post**
3.	Scale of Pay	Level 14 [Academic] under 7th CPC plus **Special Allowance of Rs. 6750/month.**
4.	Whether selection post or non-selection post	Selection Post Internal Candidates selected under the direct recruitment will return to the substantive post on completion of specified tenure.
5.	Age limit	Not exceeding 62 years
6.	Educational and other qualifications required for direct recruitment/ deputation	Category 1: Academics 1. Candidate qualified to be appointed as a Professor in any of the School(s) in IMU. 2. However, the applicable age limit shall be 62 years. Category 2: Research Organisations 1. Good academic record with at least 55% marks or an equivalent grade at both UG and PG level or at Integrated PG level in a relevant engineering discipline. 2. Ph.D in Engineering. 3. Candidate should have at least ten years’ experience of which at least 5 years should be in the rank of Scientist F or equivalent in Research Organisation **or** In the rank of Scientist G or equivalent in Research Organisation Desirable: Evidence of publications in peer reviewed journals. Category 3: Mariners 1. Directorate General (Shipping) recognised MEO Class I/Master Mariner (FG) with 2 years sailing experience at Management level within the meaning of STCW convention in force; 2. At least 20 years total work experience in shipping industry (sailing, on-shore, academics, classification society, and other related fields). For the purpose of calculation of total work experience, the sailing

		experience shall be multiplied by a factor of two. **[OR]** At least 10 years of sailing experience which includes 2 years sailing experience at Management level referred to in clause 1 above Desirable: a. Evidence of publications in peer reviewed journals b. Extra Masters or Extra First Class or PGDMOM obtained prior to 2014 or Ph.D <u>Category 4: Naval Officers</u> 1. Serving/Retired Naval officer with 5 years of experience in the rank of Commodore or equivalent/above and with experience in navigation/marine or electrical engineering/naval architecture branches. Desirable a. Evidence of publications in peer reviewed journals b. Experience in Navy Training Institutes/Headquarters.
7.	Age of Superannuation	65 years
8.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Deputation / Direct Recruitment If by Deputation, the age and educational qualifications as applicable to Direct Recruits would apply. If by Deputation, the candidate must be in a position to complete at least one full term of 3 years before his superannuation in his parent department/agency.
9.	Selection Committee	The Selection Committee for appointment to the posts of Campus Directors shall consist of: (i) Vice-Chancellor (ii) Pro-Vice-Chancellor (iii) A nominee of the Visitor (iv) Two members of the Executive Council nominated by it. (v) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council Quorum for the meeting shall be as per Statute 21(3).
10.	Remarks	a. Appointment to the post of Campus Director will be made for a tenure of 3 years initially. b. Eligible for 2 extensions up to 3 years at a time subject to satisfactory performance reviewed by a committee constituted as per Clause 9 above. c. Even though a Campus Director may be initially appointed to a particular Campus, he shall be liable for transfer to any other Campus within India. d. If an employee of an erstwhile legacy institute is appointed as Campus Director, the relevant age of superannuation will apply. e. In case of deputationists, the age of superannuation in the relevant parent organization will apply.

		f. For direct recruits to IMU, the age of superannuation shall be sixty five years. g. The tenure of appointment indicated in (a) and (b) above will be subject to the age of superannuation specified in (d) to (f) above. h. Sailing experience is to be reckoned from the entries based on sign- on and sign-off from ships as mentioned in the Continuous Discharge Certificate of the prospective candidate. For eligibility purposes in clause 6 (Category 3, Srl No.2), the sailing duration as per CDC entries will be multiplied by 2. For example, 6 months of total sailing duration as per CDC entries will be counted as 12 months (6x2) of service for calculating overall service. i. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. j. The educational qualifications must be from a university/institution recognised by Statutory Authorities. k. The relevancy of qualifications and the Screening of applications will be done by an Expert Scrutiny Committee. l. Reservations as per Government of India/UGC guidelines would be applicable.

***Note**: The Special Allowance mentioned at Row No.3 of this Ordinance shall be applicable with effect from 01.07.2017.*

Ordinance 08 of 2019

[EC 2019-49-17 dated 24.09.2019 and amended vide errata dated 1.10.2019*]*

Ordinance prescribing the duties of the Head of Department

1. **Academic Quality**: HoD's shall be responsible for the overall academic quality of their respective School/Department including publication, research work and training programmes.
2. **Syllabus preparation & Review**: HoD's shall be responsible for preparation and review of the syllabus for various programmes under their respective School/Department in consultation with Faculty and School Board members.
3. **Classroom & Laboratories:** HoD's shall -
   a. Ensure proper allocation of class rooms & issue notices for changes, if any.
   b. Ensure that all class rooms are sufficiently equipped. HoDs shall intimate any defects to the Deputy Registrar/Assistant Registrar or employee of equivalent rank for necessary action.
   c. Ensure that adequate number of good quality laboratory equipment are available for experiments
   d. Periodically review laboratory requirements and propose for necessary up-gradation in the facilities to meet the industry needs, if necessary.
4. **Students Matters** – HoD's shall–
   a. Ensure that students adhere to the Model Code of Conduct for Students, Uniform/Dress code and Class attendance/leave rules.
   b. To arrange for all documentation/data entry relating to examinations are done within the stipulated time frame and verify for its correctness.
   c. Ensure that students maintain discipline in the Campus.
   d. Encourage students to participate in co-curricular and extra-curricular activities
   e. Facilitate students' requests relating to –
      i. Scholarships
      ii. Attestations

iii. Bonafide certificates

iv. Examination applications

v. Industrial visits

vi. Any other student requests

f. Maintain a record of students' performance in examinations to identify poorly performing students. HoDs shall counsel such students & provide all necessary assistance for their academic improvement.

5. **Faculty Matters** – HoD's shall–

a. Motivate Faculty members to undertake research work, publications so as to improve IMU's academic standing.

b. Prepare the work plan/time table for Faculty members well in advance before commencement of the semester.

c. Communicate the students' feedback to the Faculty members.

d. Ensure discipline among Faculty members.

e. Coordinate with Campus Directors with regard to any administrative requirements for engaging regular/contract/visiting Faculty and other academic support staff.

f. Oversee the functioning of the training section.

g. Coordinate with other HoDs on all academic issues.

6. HoDs shall perform the above duties and any other duties assigned by the Director.

7. HoD's shall be responsible to the Campus Directors to ensure compliance of this Ordinance.

Ordinance 30 of 2018

[EC Circulation 06 of 2018 dated 07.12.2018. Amended Vide EC 2019-48-03 dated 17.05.2019 and EC 2019-49-38 dated 24.09.2019]

Ordinance prescribing the Ph.D Regulations

"8(d) The external empanelled guides, who teach specific subjects as part of Course work to the Scholars, will be designated as Adjunct Faculty of IMU 'during that Academic Year of teaching' the subject. Adjunct Faculty who meet the following norms are designated as Adjunct Professors."

Note: The above Para shall replace Para 8(d) of the Ordinance 30 of 2018 published in the Official Gazette No.345 dated 30.09.2019.

CAPT. (IN) A. K. PALUSKAR (Retd.), Registrar,

[ADVT.-III/4/Exty./294/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.20 14:03:15 +05'30'